UPGK010008722025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

उपस्थितः सिद्धार्थ सिंह (एच. जे. एस.) J.O. Code-UP6318

आपराधिक निगरानी संख्या-34/2025

सुरेन्द्र देव पुत्र भगवती गुप्ता, उम्र करीब 37 वर्ष निवासी-ग्राम ठाकुरपुर न०-1, थाना-गुलरिहा, जिला- गोरखपुर। **.....निगरानीकर्ता**

बनाम

1. उ०प्र० सरकार ,

2. साधना गुप्ता पुत्री स्व० सुबास चन्द गुप्ता उम्र 37 वर्ष,

3. बबुनी उर्फ सुजीत गुप्ता उम्र 40 वर्ष,
4. सुभम गुप्ता उम्र 35 वर्ष, } पुत्रगण स्व० सुबाष चन्द गुप्ता
5. आशीष कुमार गुप्ता उम्र 42 वर्ष,

6. सरिता देवी पत्नी आशीष गुप्ता उम्र 40 वर्ष,

7. मीरा देवी उर्फ बेइली देवी पत्नी सुबाष चन्द गुप्ता उम्र करीब 60 वर्ष

निवासीगण-30/3 डी के सामने सूर्यविहार चौराहा, पुलिस चौकी के सामने, थाना-तिवारीपुर, जिला- गोरखपुर। **.....विपक्षीगण**

निर्णय

1. वर्तमान आपराधिक निगरानी, निगरानीकर्ता सुरेन्द्र देव की ओर से विद्वान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या-45860/2022 सुरेन्द्र देव बनाम साधना गुप्ता वगै० में पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. निगरानीकर्ता द्वारा आपराधिक निगरानी प्रस्तुत करते हुए संक्षेप में कथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 24.12.2024 विधिक बारीकियों को नजर अन्दाज करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर पारित किया गया आदेश है। धारा-3 DP Act दहेज़ देने या लेने के लिये शास्ति :- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात, दहेज़ देगा या लेगा अथवा दहेज़ देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो पंद्रह हजार रुपये तक का या ऐसे दहेज़ की रकम के मूल्य के बराबर इनमे से जो अधिक हो दण्डनीय होगा। विपक्षी सं०-2 द्वारा जबाब दावा में सशपथ व जिरह में शादी में दहेज देने का और दहेज़ लेने-देने के लिए दुष्प्रेरित करना स्वीकार किया गया है, जिसके कारण विपक्षीगण पर धारा-3 DP Act का अपराध बनता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचारण

न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया गया है। विपक्षी सं०-2 द्वारा दाखिल परिवाद संख्या-1831/2016 में जिरह किया जा चुका है जिसमे विपक्षी सं०-2 से जबाबदावा के शपथ पत्र का भी जिरह किया गया जिसमे जिरह के पेज संख्या 20, 24 पर दहेज़ देना स्वीकार की है। इस महत्वपूर्ण साक्ष्य पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये विचारण न्यायालय फौरी तौर उक्त आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा बयान अंतर्गत धारा-200 Cr.P.C व साक्षी PW-1 बयान अंतर्गत धारा-202 Cr.P.C में विपक्षी पर दहेज़ देने का आरोप स्पष्ट तौर पर लगाया गया है। साथ ही साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल किया गया है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वीकार किये गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही है। दहेज़ देने की बात विपक्षी द्वारा स्वीकारोक्ति है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.12.2024 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3. निगरानीकर्ता द्वारा अपने निगरानी के समर्थन में विद्वान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या-45860/2022 सुरेन्द्र देव बनाम साधना गुप्ता वगै० में पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गयी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण को कई बार नोटिस जारी की गयी। नोटिस का तामीला विपक्षीगण पर कराया जा चुका है, किंतु विपक्षीगण न्यायालय उपस्थित नहीं आये। अतः प्रस्तुत निगरानी को गुण दोष के आधार पर निस्तारित किया जा रहा है।

5. दौरान बहस निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता की शादी विपक्षी सं०-2 साधना गुप्ता के साथ हुई थी। शादी में विपक्षीगण द्वारा 9-10 लाख रुपये दहेज दिया गया है। विपक्षी सं०-2 द्वारा दाखिल परिवाद संख्या-1831/2016 में जिरह किया जा चुका है जिसमे विपक्षी सं०-2 ने दहेज़ देना स्वीकार किया है। विपक्षी सं०-2 के माता पिता ने भी शपथ पत्र दाखिल कर अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देने का कथन किया है। निगरानीकर्ता द्वारा बयान अंतर्गत धारा-200 Cr.P.C व साक्षी PW-1 बयान अंतर्गत धारा-202 Cr.P.C में विपक्षी पर दहेज़ देने का आरोप स्पष्ट तौर पर लगाया गया है। साथ ही साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी दाखिल किया गया है जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। विपक्षीगण पर धारा-3 DP Act का अपराध बनता है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का सम्यक परिशलन किये बगैर सरसरी तौर पर आदेश पारित कर दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

6. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

7. सर्वप्रथम यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि निगराानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार अति सीमित होता है तथा प्रस्तुत निगरानी में निगरानी न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश की शुद्धता, वैधता

एवं औचित्य सम्बन्धी त्रुटि पर ही विचार करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013)-5 एस.सी.सी. 762 (पैरा-18)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि-Normally, Revisional jurisdiction should be excercised on a question of law. However, when factual appreciation is involved, than it must find place in the class of cases resulting in a perverse finding. Basically the power is required to be excercised so that justice in done and there is no abuse of power by the court. Merely an apprehension or suspicion of the same would not be a sufficient ground for interference in such cases.

8. निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विपक्षीगण द्वारा उसकी शादी में दहेज दिया गया है। विपक्षीगण द्वारा दहेज देना स्वीकार किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं। विपक्षीगण पर धारा-3 DP Act का अपराध बनता है।

9. मेरे द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 24.12.2024 का अवलोकन किया गया जिसको विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/ परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा-203 दं०प्र०सं० में निरस्त कर दिया गया है।

10. परिवादी/निगरानीकर्ता का बयान अतंर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया है जिसमें उसके द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया गया है कि किसके द्वारा और कितना दहेज दिया गया। परिवादी/निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू-1 के रूप में शैलेश कुमार को परीक्षित कराया है उनके द्वारा भी विपक्षीगण द्वारा दहेज देने का कोई कथन नहीं किया गया है।

11. उपरोक्त साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता की शादी विपक्षी सं०-2 के साथ हुई थी। दोनों के बीच में विवाहिक मतभेद थे। निगरानीकर्ता ने अपने बयान अंतर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि विपक्षी सं०-2 द्वारा घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल किया गया था उसमें विपक्षी सं०-2 द्वारा कथन किया गया है कि विपक्षी/ निगरानीकर्ता को दहेज दिया गया था।

12. इस संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा जो भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किये गये हैं उसका मेरे द्वारा सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि परिवाद सं०-1831/2016 में निगरानीकर्ता द्वारा बार-बार दान दहेज दिये जाने का कथन किया गया है, किन्तु विपक्षी सं०-2 द्वारा जिरह में शादी में दान दहेज दिये जाने से इन्कार किया गया है। उसके द्वारा कथन किया गया है कि शादी में जो भी दिया गया था वह उपहार में दिया गया था। परिवादी/निगरानीकर्ता का बयान अतंर्गत धारा-200 दं०प्र०सं० एवं साक्षी पी०डब्लू-1 शैलेश कुमार के बयान अतंर्गत धारा-202 दं०प्र०सं० में विरोधाभाष है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा के मुकदमे से बचने के लिए और दबाव बनाने की नीयत से निगरानीकर्ता द्वारा परिवाद

दाखिल किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है।

13. अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस मत की है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा जो प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप या संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.12.2024 पुष्टि किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक निगरानी सं०-34/2025 निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-2, गोरखपुर द्वारा परिवाद संख्या-45860/2022 सुरेन्द्र देव बनाम साधना गुप्ता वगै० में पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 पुष्ट किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित हो। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-11.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-11.03.2026

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
J.O. Code-UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.03.12 16:41:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court